न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 11/2020

उनवान

शिवराज पुत्र छोटू जाति जाट निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
— अप्रार्थी :– 1 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

–: आदेश :– दिनांक :– 15.3.21

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 2731 रकबा 2–13–0 हाल खसरा नम्बर 1507/6555, 6505/1507 व 1507 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की है। वंर्किग खसरा नम्बर 2731 रकबा 2–13–0 में से प्रार्थी शिवराज पुत्र छोटू को नामान्तकरण संख्या 673 से रकबा 1–5–0 भूमि का राजस्व अभियान में आंटन छोटी पटटी में किया गया। उक्त आराजी का नामान्तकरण कर नक्शा ट्रेस में भूमि पश्चिम दिशा की ओर त्रिभुज आकार में तरमीम कर खातेदारी दर्ज की गयी। किन्तु वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 6505/1507 रकबा 0.23, 1507/6555 रकबा 0.20 को वर्तमान नक्शा ट्रेस में जगह पविर्तित करते हुये त्रुटिपूर्ण तरीके से पश्चिम दिशा के बजाय पूर्व दिशा की ओर अंकित कर दिया। अतः हाल खसरा नम्बर 1507 के स्थान पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6505/1507 रकबा 0.23 व 1507/6555 रकबा 0.20 का अंकन कर वर्तमान मानचित्र को सही किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 2731 रकबा 2–13–0 में से नामान्तकरण संख्या 673 दिनांक 23.08.02 से 1–5–0 रकबा छोटी पट्टी के तहत प्रार्थी को आवंटित की गयी। नजरी नक्शे के अनुसार आवंटित भूमि पश्चिमी दिशा में दर्शायी है। वंर्किग खसरा नम्बर 2731 के हाल खसरा नम्बर 1507 मिन रकबा 0.43 बना है। 1507 के बटा नम्बर 1507/6555 रकबा 0.20 व 6505/1507 रकबा 0.23 बने है। वंर्किग खसरा नम्बर 2731 के मानचित्र व हाल खसरा नम्बर के मानचित्र में भिन्नता है प्रार्थी राजस्व मानचित्र को वंर्किग मानचित्र अनुसार दुरूस्त करवाना चाहता है। नामान्तकरण संख्या 673 में नजरी नक्शा अंकित है किन्तु नामान्तकरण संख्या 551 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न नहीं है। नामान्तकरण संख्या 673 में अंकित नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 1507/6555 रकबा 0.20 की तरमीम हाल नक्शे में दुरूस्त की जानी उचित होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:54:28 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वंर्किग खसरा नम्बर 2731 रकबा 2–13–0 के हाल खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.43 बने है। खसरा नम्बर 2731 में से नामान्तकरण संख्या 673 दिनांक 23.08.02 द्वारा 1–5–0 भूमि प्रार्थी को आवंटित हुयी। तथा हाल खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.23 की आराजी नामान्तकरण संख्या 551 दिनांक 02.07.13 द्वारा प्रार्थी के नाम नियमन हुयी। उक्त आंवटित व नियमन की गयी आराजी के हाल खसरा नम्बर 1507/6555 रकबा 0.20 व 6505/1507 रकबा 0.23 प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 673 पर अंकित नजरी नक्शें अनुसार प्रार्थी को खसरा नम्बर 2731 का पश्चिमी भाग आवंटित हुआ था। हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 1507/6555 रकबा 0.20 व 6505/1507 रकबा 0.23 को पूरब दिशा की ओर अंकित कर दिया तथा हाल खसरा नम्बर 1507 के शेष रकबे को पश्चिमी दिशा की ओर अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। नामान्तकरण संख्या 673 पर अंकित नजरी नक्शें व राज0 पैरोकार के जवाब से भी हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थी की खातेदारी का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। राज0 पैरोकार ने प्रार्थना पत्र के कथनों का खण्डन नही किया है तथा पत्राचली पर उपलब्ध दस्तावेज से प्रार्थना पत्र के कथनों की ताईद होती है। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।** प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा।

अतः ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 1507/6555 रकबा 0.20 व 6505/1507 रकबा 0.23 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद नामान्तकरण संख्या 673 दिनांक 23.08.02 पर अंकित वंर्किग खसरा नम्बर 2731 के नजरी नक्शें में दर्शाये अनुसार पश्चिम दिशा की ओर प्रार्थी की आराजी की तरमीम करने की कार्यवाही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:54:28 IST
Reason: SelfAttested